"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174 ]  रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 मई 2017—— वैशाख 11 , शक 1939

### वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2017

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-22/2015/वाक(पं.)/पांच (50). — भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-22/2015/वा.क.(पं.)/पांच (41) दिनांक 23-04-2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 4 के पश्चात् निम्नलिखित कंडिका 5 जोडी जाये, अर्थात् :-

"5. उपर्युक्त कंडिका (1) के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान उद्योगों के विस्तार, शवलीकरण (संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)."

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण की कंडिका 1 के शब्द एवं अंक "क्रमांक (1) से (4)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "क्रमांक (1) से (5)" अन्त: स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.